राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)

टेलीफैक्स.0141–2222403, ईमेल– dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

File No.:- F.59. STP/DLB/Building-B. Laws/ (41) /16/ 796 **Date :** 13.10.16

–:कार्यालय आदेश:–

राज्य सरकार द्वारा राज्य के नगरीय क्षेत्रों में भवन निर्माण स्वीकृति की प्रक्रिया Online किये जाने का निर्णय लिया गया हैं एवं इस निर्णय के क्रम में स्वायत्त शासन विभाग की E-governance के अन्तर्गत स्मार्ट राज योजना के तहत् राज्य की समस्त निकायों हेतु Single Window Clearance System के माध्यम से Online Building Plan Approval System (BPAS) दिनांक 06.06.2016 को प्रारम्भ किया जा चुका हैं।

Online Building Plan Approval System (BPAS) के तहत् आवेदित प्रकरणों में भवन मानचित्रों का भवन विनियमों के अनुरूप परीक्षण तथा समस्त देय शुल्क यथा आवेदन शुल्क, अनुमोदन शुल्क एवं अन्य प्रकार के शुल्क आदि की गणना एवं गणना पश्चात् शुल्क हेतु डिमांड नोट, भवन मानचित्रों की सॉप्ट कॉपी, अनुमोदित भवन मानचित्र एवं Approval Certificate आदि जारी किये जाने की समस्त प्रक्रिया Online निस्तारित किये जाने का प्रावधान नीहित हैं।

Online प्रक्रिया में आवेदन किये जाने के पश्चात् भवन मानचित्र का अनुमोदन आदेश क्रमांक F.59. STP/DLB/Building-B. Laws/ (41) /16/416 Date :06.06.2016 में निर्धारित किये गये दिवसों में किया जाना आवश्यक हैं। Online अनुमोदन की प्रक्रिया विभाग की वैबसाईट (www.lsg.urban.rajasthan.gov.in >Applicant Corner>Online Procedure for applications/Apply Online> Building Plan Approval>Procedure/User manual/video>view>Department> Procedure/User manual>view) पर उपलब्ध करायी गयी हैं।

Online Building Plan Approval System (BPAS) द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्र एवं डिमाण्ड नोट अनुसार शुल्क जमा होने के पश्चात् जारी अनुमोदन अनुसार विकासकर्ता/भूखण्ड स्वामी द्वारा भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। Online प्रक्रिया से अनुमोदित भवन मानचित्रों को नगरीय निकाय की भवन निर्माण समिति में पुष्टि हेतु रखा जाकर अन्य शर्तें एवं यदि कोई अन्य बकाया शुल्क देय है, तो निकाय द्वारा जमा कराया जाकर भूखण्ड पर Plinth Level तक निर्माण होने से पूर्व स्वीकृति जारी की जानी अनिवार्य होगी। इसके पश्चात् आवेदक/विकासकर्ता की जिम्मेदारी नहीं होगी।

अतः राज्य की समस्त नगरीय निकायों को एत्तद्वारा निर्देशित किया जाता है, कि दिनांक 30 नवम्बर, 2016 तक Manual आवेदित समस्त प्रकरणों का निस्तारण किया जावें एवं दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 से समस्त निकायों में भवन मानचित्रों का अनुमोदन Online Building Plan Approval System (BPAS) के तहत् ही किया जावेगा।

Online प्रक्रिया में आवेदन (आवेदक द्वारा) तथा निस्तारण (निकाय द्वारा) के दौरान BPAS Application के संबंध में किसी तकनीकी जानकारी के संबंध में निदेशालय के आदेश क्रमांक F59. STP/DLB/ Ease -D.B. (91)/ 15/590-602 Date: 03.08.2016 के तहत् नियुक्त प्रभारी अधिकारी श्री डी.के. जिन्दल को Grievances प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

File No.:- F.59. STP/DLB/Building-B. Laws/ (41) /16/ 797–808 **Date :** 13.10.16

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।

4. आयुक्त, नगर निगम जयपुर / जोधपुर / कोटा / अजमेर / उदयपुर / भरतपुर / बीकानेर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग जयपुर / जोधपुर / कोटा / अजमेर / उदयपुर / बीकानेर जोन।
7. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर / जोधपुर / कोटा / अजमेर / उदयपुर / भरतपुर।
8. आयुक्त, नगर परिषद, समस्त।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त।
10. श्री देवेन्द्र कुमार जिन्दल, प्रभारी अधिकारी मोनिटरिंग, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम ऐनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
12. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक

C:\Users\PC\Desktop\Computer Data\New folder (3)\f\R.K. VIJAYVARGIA (STP)\Letters\STP General Letter.docx